## उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश – फलक

राणा असुर वगै०

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

बनाम

मिनरल्स एण्ड मिनरल्स

आदेश फलक तारीख.....से...तक।जिला – गुमला

वाद सं0 :- 30 / 2017-18

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री राणा असुर पिता-स्व मंगरा असुर ग्राम-माथुलाईन चारोन जिला-जलपाईगुड़ी राज्य पंश्चिम बंगाल 2. ठेपा असुर पिता – स्व0 मंगरा असुर ग्राम-अर्शहालपाटी कुँच बिहार जिला- कुँच बिहार राज्य पश्चिम बंगाल 3. बुधवा असुर पिता-स्व0 बोलों असुर ग्राम-धाघरापाठ 4.बिरसाई असुर पिता-स्व0 मंगरु असुर 5. एतवा असुर पिता-स्व0 सुखनाथ असुर दोनों ग्राम-आदर पो0-आदर थाना-धाघरा जिला- गुमला 6. बिर्री असुर पिता-स्व0 जोगन असुर 7. खुसु असुर पिता-स्व0 कजरु असुर 8. सोमनाथ असुर पिता-स्व ठेपा असुर 9. समीर असुर पिता- स्व0 ठेपा असुर 10. बुधुवा असुर पिता-स्व0 एतवा असुर सभी ग्राम -धाघरापाट पो0 आदर थाना-धाघरा जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि को मिनरल्स एण्ड मिनरल्स कोर्ट रोड़, लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षीय लीज में देने के

मौजा थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा (ए० में) घाघरापाट 12 34 483 3.24 509 7.35 कुल 02 10.59 एकड़

आवेदन पर सुनवाई दिनांक — 20.10.2017 को प्रारंभ करते हुए आम नोटिस निर्गत करने के साथ संबंधित अंचल अधिकारी, घाघरा से वर्णित भूमि व विषय के परिप्रेक्ष्य में जाँच—प्रतिवेदन, मंतव के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी,घाघरा का जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक — 181 दिनांक — 07.03.2019 आलोक में प्राप्त व अभिलेख में संधारित है, जो निम्न अनुसार है :—

## प्रतिवेदनानुसार -

-: लीज हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :--

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा दर्जा
घाघरापाट	34	483	3.24
		509	7.35
		कुल:-	10.59 एकड़

जमाबंदीदार का नाम — मंगरा असुर वल्द डिबका असुर भूमि का बिक्री मूल्य — 2,63,200.00 रू० प्रति एकड़ लीज देने के पश्चात् आवेदक/आवेदकों की शेष भूमि — 10.59 एकड़ प्रतिवेदमानुसार, आवेदकगण जमाबंदी हैयल मंगरा अभुर वज्य विश्वका अभुर के प्रशासन है, जो अपने हिस्से की भूमि को बॉक्साईट खनन हेतु कंपनी को जीज पर देगा थाहत है।

दिनांक-04 10 2019 को आवेदक के विश्व अधियक्ता द्वारा प्रतियोदन किया गया है कि अधिहक सं0-3 बुधवा असुर पिता-स्व0 बोलो असुर की मृत्यु दिनोंक-16 12 2016 को हो गया है। जी निकलान है। जिसको रैयतो द्वारा अपने ब्यान में भी सम्पुष्ट किया गया है।

पुन दिनांक—16.04.2021 को आवेदकमण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रसितंदित किया गया की आवेदक सं0—1 राणा असुर पिता—रव0 मंगरा अशुर दिनांक—23.01.2021 को तावळ पून हो मये है, तथा आवेदक सं0—10 बुधवा असुर पिता—रव0 एतवा अशुर की भी मृत्यु दिनांक—11.06.2021 को हो गयी है।

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी घाघरा से जाँच प्रतिवेदन की गाँग की गया। उनके पत्रक अति अवि दिनांक-24.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मृत्क बुधवा असुर के परिवार में पत्नी कुछंन असुराईन की एक पौत्री सलमी कुमारी उम्र लगभग-12 वर्ष एवं एक पौत्र मंगरा असुर उम्र 9 वर्ष है। बुधवा असुर के पुत्र एवं पुत्रबधु की मृत्यु हो चुकी है। राणा असुर के संबंध में प्रतिवेदित है कि स्वा राणा असुर नावल्द मृत हो गये है। अतः बुधवा असुर पिता-स्वा एतवा असुर के स्थान पर उनकी पत्नी बुधईन असुराईन पौत्री सलमी कुमारी एवं पौत्र मंगरा असुर को इस वाद में प्रक्षकार बनाया गया है।

आवेदकों का ब्यान श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी,कार्यपालक दण्डाधिकारी—सह— जिला नजारन चप समाहर्त्ता, गुमला द्वारा दिनांक — 25.07.2019 को लिया गया। आवेदकों ने अपने ब्यान में कहा है कि वे राजी—खुशी से प्रस्तावित जमीन कंपनी को खनन् कार्य हेतु 20 वर्षों के लीज पर देने के लिए सहमत हैं। आवेदकों द्वारा ब्यान में उचित मुआवजा राशि के अतिरिक्त रोजगार, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजलों के साथ खनन् कार्य के उपरांत जमीन समतल कर कृषि योग्य बनाकर वापस करने की माँग किए हैं।

मेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स के साथ हुए रिजस्टर्ड दस्तावेज Indenture में गुमला जिला अंतर्गत् कुल 01 ग्राम (घाघरापाट) को वॉक्साईड खनन हेतु (डीड सं0 – 319, दिनांक – 17.04. 2017) में सम्मलित किया गया है। उक्त खनन् पष्टा अनुसार लीज की अवधि विस्तार वैद्यता वर्ष 2059 निर्धारित है।

कंपनी की ओर से उनके Sr. Officer (Legal) के द्वारा रैयतों के माँगों के संदर्भ में आवंदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार-कंपनी रैयतों के भूमि को लीज पश्चात् समतलीकरण कर वापस करने, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुआवजा राशि को स्वीकृत करने, रैयतों के परिवार में किसी एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नियोजित करने, सी०एस०आर० गतिविधि अंतर्गत् के परिवार में किसी एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नियोजित करने, सी०एस०आर० गतिविधि अंतर्गत् शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति दिए हैं। उनके द्वारा यह भी उल्लिखत किया गया है कि कंपनी के पास Valid E.C. (Letter No.- J-11015/87/2009-IA.II(M) Dated-24-09-2013, Ministry of Environment and Forests, Govt. Of India) है तथा यह लीज है मूरी एवं रेणुकूट (उत्तरप्रदेश) प्लाँट के लिए Captive Lease है, जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति में अंचल अधिकारी, घाघरा के जाँच-प्रतिवेदन व जिला अक निबंधक, गुमला के पत्रांक – 398 दिनांक – 19.09.2021 द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राप्त निबंधन दर ए आवेदकों की माँग को ध्यान में रखकर प्रश्नगत भूमि का मूल्य 3,42,160.00 रू0 (तीन लाख बयाली हजार एक सौ साट रूपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से निर्धारित करते हुए प्रतिवेदित भूमि को लीज देने की अनुमति अंचल अधिकारी, घाघरा की अनुशंशा एवं शरकार व कंपनी के बीच हुए लिखित एकरारनामा में तथ बंधेजों व निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रवान की जाती हैं —

- (क) यह अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत लीज अवधि तक के लिए होगा।
- (ख) कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लीज में उपयोग किए जाने के निर्धारित समयायद्यि के
  पश्चात भूमि के कृषि योग्य व समतलीकरण कर संबंधित रेयतों (आनेदकों) को वापन की
  जाएगी।
- (ग) मुआवजा की राशि आवेदकगण के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर जमा करना है। राशि हस्तांतरण के पश्चात् ही जिला अवर निबंधक. गुमला द्वारा लीज हेतु मृमि का निबंधन किया जाएगा।
- (घ) कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराँएमें। इसकें अतिरिक्त, कंपनी सीoएसoआरo गतिविधियों के अंतर्गत् आवशिदित कार्य के तहत संबंधित रैयतीं को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण, उत्तम बीज, बाजार की व्यवस्था भी कराएँगे। साव्य ही, खनन् क्षेत्रों में भारी ट्रकों, डंफरो व अन्य खनन् संयत्रों के अनवस्त रूप से आने—जाने के क्रम में सड़कों को होने वाली क्षति को समय—समय पर मरम्मति कराकर अच्छी स्थिति में संधारित रखना भी सुनिश्चित करेंग, तािक ग्रामीणों के सामान्य आवागमन एवं अन्य दैनिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं उनका आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व अन्य गतिविधियाँ सुचारू रूप से सुगमतापूर्वक चल सके।

पाट क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज्यादा गंभीर है, उक्त को ध्यान में रखकर कंपनी की ओर से उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आवश्यक पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएँगे तथा इस कार्य को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए स्थानीय सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं से भी यथोचित समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

- (ड) लीज भूमि को खनन कार्य समाप्त या लीज अवधि समाप्ति में जो पहले हो, के आधार पर प्रश्नगत भूमि रैयत / रैयतों (आवेदक / आवेदकों) को वापस करना होगा।
- (च) यदि, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक/आवेदकों का मकान अवस्थित है, तो उक्त भू—खंड पर लीज कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी को यथोचित स्थल पर उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।
- (छ) कंपनी प्रस्तावित भूमि पर लीज कार्य प्रारंभ करने के क्रम में रैयत / रैयतों (आवेदक / आवेदकों) के परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को उनके योग्यता एवं क्षमता के आधार पर नियोजित करेगी। यदि कंपनी ठेकेदार द्वारा खनन कार्य कराती हैं, तो संबंधितों को नियोजित कराने का दायित्त्व कंपनी के ऊपर होगा।
- (ज) कंपनी, नियोजित व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा बॉक्साईट खनन कार्य हेतु निर्धारित न्यूनत्तम मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के अंतर्गत् देय पी०एफ० अंशदान एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन देय बोनस के साथ दुर्घटना की स्थिति में Workmen Compensation Act 1926, Gratuity Act 1972 आदि विधिक देय के अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन् कार्य के क्रम में सभी मानक सुरक्षा उपायों का भी संधारण कपंनी द्वारा किया जाएगा।

लेखापित एवं स्ंश्रोधित

चेपायुक्त, गुमला ्रि**५**।७\ उपायुक्त, गुमला